

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक : एफ20(101)418आयो/आकाशि/2010-11/ 186

दिनांक : 8/07/10

कार्यालय-आदेश

वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोजना मद अन्तर्गत भिन्नांकित राजकीय महाविद्यालयों में 10 स्नातक स्तर पर एवं 7 स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं उनके सम्बन्धित पदों के सृजन करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151000544 दिनांक 6-7-2010 की सहमति के आधार पर जारी की जाती है :-

स्नातक स्तर :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	सृजित पद	संख्या
1	राजकीय महाविद्यालय, फलोदी	वाणिज्य	बी.बी.ए.	व्याख्याता	01
2	राजकीय महाविद्यालय, हिण्डोन	सभी संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	व्याख्याता	01
3	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	कला	अर्थशास्त्र	व्याख्याता	01
4	राजकीय महाविद्यालय, जालौर	सभी संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	व्याख्याता	01
5	राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	कला	समाजशास्त्र	व्याख्याता	01
6	राजकीय महाविद्यालय, नोखा	सभी संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	व्याख्याता	01
7	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	सभी संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	व्याख्याता	01
8	राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमूं	वाणिज्य	बी.बी.ए.	व्याख्याता	01
9	राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी	सभी संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	व्याख्याता	01
10	राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई	सभी संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन योग	व्याख्याता	01

स्नातकोत्तर स्तर :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	सृजित पद	संख्या
1	राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी	विज्ञान	प्राणीशास्त्र	व्याख्याता	02
2	राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी	वाणिज्य	व्यवसाय प्रशासन	व्याख्याता	02
3	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़	विज्ञान	रसायनशास्त्र	व्याख्याता	02
4	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा)	विज्ञान	रसायन शास्त्र	व्याख्याता	02
5	राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	विज्ञान	रसायनशास्त्र	व्याख्याता	02
6	राजकीय महाविद्यालय, बाडमेर	विज्ञान	रसायनशास्त्र	व्याख्याता	02
7	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	कला	ऊर्दू योग	व्याख्याता	02


Authorised
आयुक्त

क्रमांक : एफ20(101)418आयो/आकाशि/2010-11/ 186-207

दिनांक 8/07/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. महालेखाकार, हक एवं लेखा, राजस्थान जयपुर ।
4. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर ।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राज. जयपुर ।
6. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर ।
8. उपशासन सचिव, मोनिटरिंग (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
9. कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
10. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
11. कुलपति, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
12. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
13. मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
14. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
15. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
16. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राज. जयपुर ।
17. संयुक्त निदेशक, प्रशासन/ कार्मिक आयुक्तालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन सृजित पदों (व्याख्याता) को सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से नियमानुसार भरे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।
18. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विषयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि बढ़ाई जाये और अधिकतम विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये ।
19. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
20. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ।
21. विशिष्ट निजी सहायक, संयुक्त निदेशक, पी.एण्ड सी शाखा
22. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा
राजस्थान जयपुर